92

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1550–एक/2002 – विरूद्व आदेश दिनांक 9–5–2002 पारित व्दारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर – प्रकरण कमांक 96/99–2000 अपील

कुन्नू पुत्र गब्बू
ग्राम करैया राय
तहसील अशोकनगर ----आवेदक

विरूद्व

1– गुमना पुत्र चन्दना
मृतक वारिस
सम्पतवाई पुत्री स्व.गुमना
पत्नि भकुन्तिया निवासी
बार्ड क–3 अशोकनगर

2– म0प्र0शासन ----अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री के0के0द्विवेदी)
(अनावेदक क–1 के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)

आ दे श
(आज दिनांक 14 – 9 –2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्र.क. 96/99–2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 9–5–2002 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि बारेलाल पुत्र गुमना चमार के नाम ग्राम करैया राय में भूमि स0 क0 709 रकबा 1.087 हैक्टर थी, जिसकी मृत्यु उपरांत बसीयत के आधार पर आवेदक ने नामांत्रण की मांग की। तहसील

न्यायालय व्दारा प्रकरण कमांक 12 अ—6/97—98 में पारित आदेश दिनांक 31—7—98 से बसीयत के आधार पर आवेदक का नामांत्रण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्व गुमना चमार व्दारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर ने प्रकरण कमांक 35/98—99 अपील में पारित आदेश दिनांक 27—5—99 से अपील स्वीकार कर नामांत्रण आदेश दिनांक 31—7—98 निरस्त कर दिया तथा प्रकरण हिंतबद्व पक्षकारों की सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया। नायव तहसीलदार वृत्त कचनार तहसील अशोकनगर ने प्रकरण कमांक 20 अ—6/98—99 पंजीबद्व किया तथा पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 20—12—99 पारित किया एंव मृतक बारेलाल का बैध वारिस गुमना चमार मानकर उसका नामान्तरण उक्त भूमि पर कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई। अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर ने प्रकरण कमांक 123/99—2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 4—11—2000 से भूमि पटटे की भूमि होना पाकर शासकीय दर्ज करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त ने प्रकरण कमांक 96/99—2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 9—5—2002 से अपील निरस्त कर दी। इसी आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों एंव उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह निर्विवाद है कि ग्राम करैया राय की भूमि सर्वे कमांक 709 रकबा 1.087 हैक्टर मृतक बारेलाल को पटटे पर शासन व्दारा दी गई थी। बारेलाल पुत्र गुमना चमार बेओलाद फोत हुआ है। विचार योग्य है कि बेओलाद मृतक व्दारा

धारित भूमि कहॉ जावेगी। शासन से पटटे पर प्राप्त भूमि का धारक बारेलाल बेओलाद मरा — भूमि जहॉ से उसे प्राप्त हुई — उसी दिशा में वापिस जावेगी — अर्थात भूमि शासन से बारेलाल को दी गई — बारेलाल के न रहने पर भूमि पुनः शासन को वापिस प्राप्त होगी। अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर ने गहन छानवीन में मृतक बारेलाल का कोई वारिस होना नहीं पाया है क्योंकि बारेलाल का कोई वारिस न होने से नगरपालिका व्दारा इसका दाह संस्कार किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर व्दारा प्रकरण कमांक 123/99—2000 अपील में विस्तृत विवेचना कर निष्कर्ष देते हुये आदेश दिनांक 4—11—2000 पारित किया है जिसके कारण अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने प्रकरण कमांक 96/99—2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 9—5—2002 में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 96/99—2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 9—5—2002 उचित होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है। निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस.एस.अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर